

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA



एस.जी.-डी.एल.-सा.-26092026-276490  
SG-DL-W-26092026-276490

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY  
साप्ताहिक  
WEEKLY

|         |                                                                             |                            |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| सं. 14] | दिल्ली, सितम्बर 11—सितम्बर 17, 2026, बृहस्पतिवार/ भाद्र 20—भाद्र 26, 1948   | [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 214 |
| No. 14] | DELHI, SEPTEMBER 11—SEPTEMBER 17, 2026, THURSDAY/ BHADRA 20—BHADRA 26, 1948 | [N.C.T.D. No. 214          |

भाग—II खण्ड—1  
PART—II Sec.—1

न्यायिक और मजिस्ट्रेरी मामलों पर अधिसूचनाएं और आदेश, उच्च न्यायालय की अधिसूचनाएं और भारत के निर्वाचन आयोग की विधिक अधिसूचनाओं तथा अन्य निर्वाचन अधिसूचनाओं का पुनः प्रकाशन  
Notifications and Orders on Judicial and Magisterial matters; reproduction of High Court Notifications and Statutory Notifications of the Election Commission of India and other Election Notifications

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार  
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली  
अधिसूचना

दिल्ली, 14 सितम्बर, 2026

सं. 89/सामान्य-1/ओ.सी./ओ. एल./डी.एच.सी.—दिल्ली उच्च न्यायालय, सिविल प्रक्रिया संहिता (1908 का अधिनियम संख्या V), की धारा 139(ख), 1976 के संशोधन अधिनियम संख्या 104 द्वारा यथा संशोधित एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 333(1)(ख) तथा शपथ अधिनियम, 1969 की धारा 3(2)(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सुश्री मोनिका गुप्ता, शासकीय परिसमापक, "कार्यालय शासकीय परिसमापक", 8वीं मंजिल, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली (संबद्ध दिल्ली उच्च न्यायालय) को इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए अथवा इस न्यायालय के आगामी आदेश तक, जो भी पहले हो, केवल न्यायिक कार्यवाहियों में शासकीय परिसमापक की ओर से और उनके पक्ष में दायर किए जाने वाले शपथ-पत्रों को सत्यापित करने के उद्देश्य हेतु शपथ आयुक्त नियुक्त किया है:-

इस प्रकार नियुक्त शपथ आयुक्त समय-समय पर इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों का, जहाँ तक वे लागू हों, पालन करेंगी।

न्यायालय के आदेशानुसार,

अरुण भारद्वाज, महानिबंधक

**HIGH COURT OF DELHI AT NEW DELHI**  
**NOTIFICATION**

Delhi, the 14th September, 2026

**No. 89 /Genl.-I/OC/OL/DHC.**—In exercise of powers conferred by Section 139(b) of the Code of Civil Procedure (Act V of 1908) as amended by Amendment Act No.104 of 1976 and Section 333(1)(b) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 and Section 3(2)(a) of the Oaths Act, 1969, High Court of Delhi has been pleased to appoint **Ms. Monika Gupta, Official Liquidator**, “Office of Official Liquidator”, 8<sup>th</sup> floor, Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi, attached to High Court of Delhi, as Oath Commissioner for a period of two years from the date of issue of this Notification or until further orders of this Court whichever be earlier only for the purpose of attesting affidavits intended to be filed for and on behalf of the official Liquidator in Judicial proceedings:-

Oath Commissioner so appointed shall observe instructions issued by this Court from time to time so far as applicable.

By Order of the Court,

ARUN BHARDWAJ, Registrar General